मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-15

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

मंगलवार, दिनांक 18 मार्च, 2008 (फाल्गुन 28, शक संवत् 1929)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 20 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 87 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 85 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यों ने प्रोफेसर सब्बरवाल की हत्या की सी.बी.आई. जांच न कराने एवं गाडरवारा में हुई पांच हत्याओं में अपराधियों के नहीं पकड़े जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया)

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य की भोपाल स्थित जे.पी. अस्पताल में कई माह से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने;

(2) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मिसरौद (भोपाल) के लिये स्वास्थ्य विभाग द्वारा खरीदे गये विभिन्न प्रकार के उपकरणों का स्टाफ के अभाव में उपयोग नहीं होने;

(3) श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य की प्रदेश सरकार द्वारा निकाले गये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को पुनः बहाल किये जाने;

(4) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की श्योपुर के आदिवासी विकास खण्ड कराहल में नियुक्त किये गये संविदा शिक्षकों को कई माहों से मानदेय का भुगतान न किये जाने;

(5) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य की राजगढ़ तहसील की सौ ग्राम पंचायतों के गांव सूखा-प्रभावित घोषित होने पर भी राहत राशि न दिये जाने;

(6) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य की बी.ओ.टी. योजना के अंतर्गत बनाई गई इन्दौर-खण्डवा-इच्छापुर सड़क के मानक स्तर का न होने;

(7) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य की होशंगाबाद जिले के उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक एवं इटारसी स्थित उपकेन्द्र के प्रबंधक के पद पर किसी भी अधिकारी की स्थापना न किये जाने;

(8) श्री शांतिलाल धबाई, सदस्य की इन्दौर जिले की सांवेर तहसील के ग्राम पालिया स्थित गणेश पेपर मिल के पास लगे ट्यूबवैल को अधिक गहरा किये जाने;

(9) श्री किशोर समरीते, सदस्य की लांजी विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत विसोनी मस्जिद से लेकर कादरी के मकान तक गंदा पानी भरे रहने से बीमारियां फैलने तथा

(10) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की रीवा जिले के सिरमौर तहसील में गंगेब के अंतर्गत शासकीय माध्यमिक विद्यालय, गुड़वा के परिसर की भूमि पर कब्जा होने
संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी गई मानी गई।

(श्री सुनील नायक, सदस्य ने टीकमगढ़ में पंचायतकर्मियों की भर्ती में भ्रष्टाचार संबंधी दी गई ध्यानाकर्षण सूचना को स्वीकृत न करने के विरोधस्वरूप सदन से बहिर्गमन किया)

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने-

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष का वाणिज्यिक, तथा

(ख) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश वित्त निगम के दिनांक 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के वार्षिक लेखाओं पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन,

(2) श्री जयंत मलैया, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007

(3) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, जनसम्पर्क मंत्री ने मध्यप्रदेश माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान अधिनियम, 1990 (क्रमांक 15 सन् 1990) की धारा 36 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007
पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण

.

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) के अनुसार किसी एक बैठक में दो से अधिक ध्यान आकर्षण की सूचनाएं नहीं ली जा सकती हैं सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यान आकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलम्बनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुये सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम को शिथिल करके मैने आज की कार्यसूची में चार सूचनाएं सम्मिलित किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है, लेकिन इसके साथ ही मेरा अनुरोध है कि जिन माननीय सदस्यों के नाम सूचनाओं में हों केवल वे ही एक-एक प्रश्न पूछकर चार ध्यान आकर्षण सूचनाओं पर यथा शीघ्र चर्चा समाप्त हो सके, इस दृष्टि से कार्यवाही पूरी करने में सहयोग प्रदान करें।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(1) प्रदेश के अनेक जिलों में सूखा एवं पाला से फसल नष्ट होने की ओर निम्नलिखित सदस्यों ने राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया :-

(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(2) डॉ. गोविन्द सिंह

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए

(3) श्री आरिफ अकील

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(श्री आरिफ अकील, सदस्य ने ध्यानाकर्षण की व्यवस्था से असंतुष्ट होकर बहिर्गमन किया)

(4) श्री गजराज सिंह सिकरवार
(5) श्री हरिशंकर खटीक
(6) श्री तुलसीराम सिलावट
(7) श्री जालम सिंह पटेल
(8) पं. हरिचरण तिवारी,
(9) श्री ओमप्रकाश खटीक
(10) श्री लालसिंह आर्य
(11) डॉ. निशिथ पटेल
(12) श्री प्रेमचंद गुड्डू,
(13) श्री हुकुम सिंह कराड़ा,
(14) श्री राजनारायण सिंह पूरनी
(15) श्री इन्द्रजीत कुमार
(16) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए

(17) श्री रामलखन शर्मा
(18) श्री सत्यदेव कटारे

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(19) श्री किशोर समरीते
(20) श्री मनमोहन शाह बट्टी
(21) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(22) श्री रामनिवास रावत
(23) श्री रामदास उइके

श्री कमल पटेल, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य के नेतृत्व में संपूर्ण विपक्ष के सदस्यों ने सूखे की समस्या पर मंत्री जी के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया)

(2) श्री ओमप्रकाश पुरोहित, सदस्य ने मंदसौर जिले के कम्बल बुनकरों को कच्चा माल न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री ग्रामोद्योग का ध्यान आकर्षित किया।

सभापति महोदय (श्री इन्द्रजीत कुमार) पीठासीन हुए।

श्री करण सिंह वर्मा, राज्यमंत्री, ग्रामोद्योग मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) सर्वश्री सज्जन सिंह वर्मा, राजनारायण सिंह पुरनी, सदस्य ने उज्जैन स्थित आर.डी. गार्डी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा शिक्षण शुल्क में वृद्धि किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

डॉ. गौरीशंकर शेजवार, चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

सभापति महोदय (श्री लालसिंह आर्य) पीठासीन हुए।

(4) सर्वश्री इन्द्रजीत कुमार, बृजेन्द्र तिवारी, सत्यदेव कटारे, सदस्य ने प्रदेश के महाविद्यालयों में उपस्थिति के अभिलेख हेतु बायोमैट्रिक मशीन खरीदी में अनियमितता होने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अनूप मिश्रा, उच्च शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

5. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री इन्द्रजीत कुमार, सभापति ने लोक लेखा समिति का 388वां से 399वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

(2) सुश्री निर्मला भूरिया, सभापति ने महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

6. वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (चर्चा का पुनर्ग्रहण)

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 22	नगरीय प्रशासन एवं विकास -नगरीय निकाय के लिए तीन सौ चालीस करोड़, इकतालीस लाख, इक्यावन हजार रूपये
अनुदान संख्या - 28	राज्य विधान मंडल के लिए तैंतीस करोड़, एक लाख, सैंतालीस हजार रूपये
अनुदान संख्या - 53	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए एक सौ बाईस करोड़, तैंतीस लाख, सत्तर हजार रूपये
अनुदान संख्या - 68	आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए पन्द्रह करोड़, तिरानवे लाख, पिच्यानवे हजार रूपये
अनुदान संख्या - 75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए सोलह सौ तिहत्तर करोड़, उन्हत्तर लाख, निन्यानवे हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 22	2, 5
मांग संख्या - 28	1, 6
मांग संख्या - 53	1
मांग संख्या - 68	1, 3
मांग संख्या - 75	1, 2

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर

(2) श्री लालसिंह आर्य

सभापति महोदय (श्री इन्द्रजीत कुमार) पीठासीन हुए।

(3) श्री आरिफ अकील

(4) श्री रामलखन शर्मा

(5) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा

(6) श्री शंकरलाल तिवारी

(7) श्री बीरेन्द्र रघुवंशी

(8) श्री दिलीप सिंह परिहार

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(9) डॉ. गोविन्द सिंह

(10) श्री ध्रुवप्रताप सिंह

(11) श्री किशोर समरीते

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री अजय विश्नोई, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को -

अनुदान संख्या - 19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए दस सौ नब्बे करोड़, सात लाख, नौ हजार रूपये
अनुदान संख्या - 61	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए एक हजार रूपये
अनुदान संख्या - 72	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास के लिए चवालीस करोड़, निन्यानवे लाख, तैंतीस हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 19	3, 4, 9, 11
मांग संख्या - 61	1
मांग संख्या - 72	1

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री अंतर सिंह दरबार

सभापति महोदय (श्री इन्द्रजीत कुमार) पीठासीन हुए

(2) श्रीमती सुधा जैन

(3) श्री रामलखन शर्मा

(4) श्री आरिफ अकील

7. व्यवस्था

सभापति महोदय ने सदन को सूचित किया कि मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 153 (2) के अनुसार, "अध्यक्ष, नियत दिनों के अंतिम दिन 4.00 बजे अनुदानों के संबंध में सभी अवशिष्ट विषयों को निपटाने के लिए प्रत्येक आवश्यक प्रश्न तुरंत रखेगा।"

अतः अनुदान की मांगों पर मतदान का कार्य पूर्ण होने के बाद विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन किया जायेगा।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

8. वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (चर्चा का पुनर्ग्रहण)

(5) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा
(6) श्री ध्रुव प्रताप सिंह
(7) श्री शंकरलाल तिवारी
(8) डॉ. गोविन्द सिंह

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(9) श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला
(10) श्री किशोर समरीते
(11) श्री दुर्गालाल विजय
(12) श्री गुरूचरण सिंह
(13) श्री इन्द्रजीत कुमार

सभापति महोदय (श्री इन्द्रजीत कुमार) पीठासीन हुए।

श्री अजय विश्नोई, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(श्री आरिफ अकील, सदस्य, के नेतृत्व में संपूर्ण विपक्ष के सदस्यों द्वारा अस्पतालों में दवाएं नहीं मिलने की बात कहते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया)

(3) श्री तुकोजीराव पवार, राज्यमंत्री, पर्यटन ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को

अनुदान संख्या - 37	पर्यटन के लिए छियासी करोड़, छियासी लाख, छियत्तर हजार रूपये
अनुदान संख्या - 43	खेल एवं युवक कल्याण के लिए चौबीस करोड़, चालीस लाख, तिरासी हजार रूपये

तक की राशि दी जाय।

मांगों पर उनके सामने अंकित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :-

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 37	2
मांग संख्या - 43	5, 6

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

(2) श्री लाल सिंह आर्य
(3) श्री शंकर लाल तिवारी
(4) श्री रामलखन शर्मा
(5) श्री आरिफ अकील
(6) श्री नरेश दिवाकर (डी.एन.)

9. सदन के समय में वृद्धि

अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि आज की कार्यसूची में उल्लेखित कार्य पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाती है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई

सभापति महोदय (श्री इन्द्रजीत कुमार) पीठासीन हुए।

10. वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (चर्चा का पुनर्ग्रहण)

(7) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा

(8) सुश्री ऊषा ठाकुर

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए।

श्री तुकोजीराव पवार, राज्यमंत्री, पर्यटन ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2008 (क्रमांक 6 सन् 2008) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(2) श्री अंतर सिंह आर्य, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 2 सन् 2008) पर विचार किया जाय।

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री अंतर सिंह आर्य, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2, 3 तथा 4 विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अंतर सिंह आर्य, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 2 सन् 2008) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(3) श्री अनूप मिश्रा, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 3 सन् 2008) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री अनूप मिश्रा, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 3 सन् 2008) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(4) श्री गोपाल भार्गव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश कॉटन कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 4 सन् 2008) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री गोपाल भार्गव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश काटन कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 4 सन् 2008) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

अपराह्न 6.24 बजे विधानसभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 2008 (फाल्गुन 29, शक संवत 1929) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.